न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 159/2023

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **सायल**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

<u>निर्णय</u> **दिनांकः** 11/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के ख0न0 696 की 4.4149 हैक्ट, ख0न0 698 की 4.6931 हैक्ट कुल 9.1080 में से 1/3 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रतीराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। गैरसायल स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण सायला का गैरसायल संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण सायल के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए सायल विवादित भूमि मे अपना जो भी हक हिस्सा है राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

गैरसायल स0 1 पारिवारिक कारणों से सायल से नाराज रहता है उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल संख्या 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी देता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ती बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नही है इसलिए सायल गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें की वादग्रस्त भूमि रोही

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 558/557 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 558/557 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रतिराम के 8 वारिस थे सभी के नाम बहिब दर्ज हुई अर्थात रामप्रताप के नाम 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज हुई। रतीराम के तीन पुत्र व चार पुत्रीया व पत्नी लिछमा कुल 8 वारिस हुये। तीन बहनो व लिछमा ने अपना हक हिस्सा रामप्रताप, करणीसिंह व लालचन्द के पक्ष में त्याग कर दिया इसलिए कुल भूमि में रामप्रताप का 1/8 हिस्सा ही बनता है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। लेकिन सायल अपने हक हिस्सा से ज्यादा की मांग कर रहा है तथा समस्त भूमि पर स्थगन लेना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः—

1. प्रथम दृष्टया मामलाः—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में सायलान को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायल को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी दादालाई , एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि [illegible] त होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत अनुसार प्रथम दृष्टया प्र[illegible] बखूबी साबित होता है तथा गैरसायलान इसे अपने पक्ष में साबित करने में असप[illegible] रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

2 **सुविधा का संतुलनः**— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायला को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि प्रथम दृष्टया दादालाई प्रतीत होती है यदि गैरसायल भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देता है तो सायल को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में और अप्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों सालया के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि सायला का विवादित भूमि में अपने हको की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि प्रकरण में सायल को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायल के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायला अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 30.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:03 IST
Reason: SelfAttested